

द्वारा ई-मेल/डाक

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

क्रमांक: / पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2020 / 732

दिनांक : 15-1-21

प्रधानाचार्य
राजस्थान पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान
समस्त राजस्थान।


विषय :- कॉलेज/संस्थान/महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

संदर्भ :- गृह (ग्रुप-9) विभाग का आदेश पत्र क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक
06.01.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा उपरान्त संदर्भित आदेश दिनांक 11.01.2021 से राज्य के समस्त राजकीय /निजी पैरामेडिकल कॉलेज/संस्था में नियमित कक्षाओं के संचालन हेतु अनुमति जारी की गई है अतः राज्य सरकार के उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।

महाविद्यालय खोले जाने के साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विशेष ध्यान रखा जावे तथा महाविद्यालयमें कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल की भी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


(उत्तम सिंह शेखावत)
रजिस्ट्रार

2021.01.15 14:17